भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस एस.ए. बोबड़े (47वीं), 18 नवंबर को लेंगे शपथ

भारत के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े पदभार संभालने वाले है। वह 18 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एस. ए. बोबड़े को देश का नया चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

24 अप्रैल,1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में जन्में बोबड़े ने नागपुर विश्वविद्यालय से बी.ए और एल.एल.बी की डिग्री हासिल की है। इसके बाद सन् 1978 में उन्होंने काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच में लॉ की प्रैक्टिस की फिर 1998 में वह वरिष्ठ वकील बने गए। जस्टिस बोबड़े ने वर्ष 2000 में एडिशनल जज के तौर पर पदभार संभाला था। इसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया।

एस. के बोबड़े ने देश में लिए गए कई अहम फैसलों का हिस्सा रहें हैं। जिनमें से आधार कार्ड और दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध शामिल हैं। आधार कार्ड मामले में उनके साथ पीठ में जस्टिस नागप्प और जस्टिस चेलमेश्वर भी शामिल थे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लांच की कन्या सुमंगला योजना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' लांच की, इस योजना को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लांच किया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी भी मौजूद रहीं।

योजना की विशेषताएं

इसका उद्देश्य बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर प्रत्येक परिवार को 15,000 रुपये प्रदान किये जायेंगे।

सरकार इस धनराशी को कई चरणों में लाभार्थी के खाते में भेजेगी, यह राशि कई उपलब्धियों जैसे टीकाकरण, 1, 5, 9 तथा ग्रेजुएशन में एडमिशन इत्यादि के अवसर पर दी जायेगी।

इस मौके पर कन्या सुमंगला वेब पोर्टल भी लांच किया गया।

अब तक इस योजना के लिए 1.25 लाख पंजीकरण किये जा चुके हैं। इस योजना के लिए 1 अप्रैल, 2019 के बाद पैदा होने वाली बालिकाएं योग्य हैं।

दिव्यांगजन और 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक को डाक-मतपत्र से अपना वोट देने की अनुमति

निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर विधि और न्याय मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद दिव्यांगजन और 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक अब अपना वोट डाक-मतपत्र से दे सकेंगे। ऐसे मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक जाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत वोट देने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

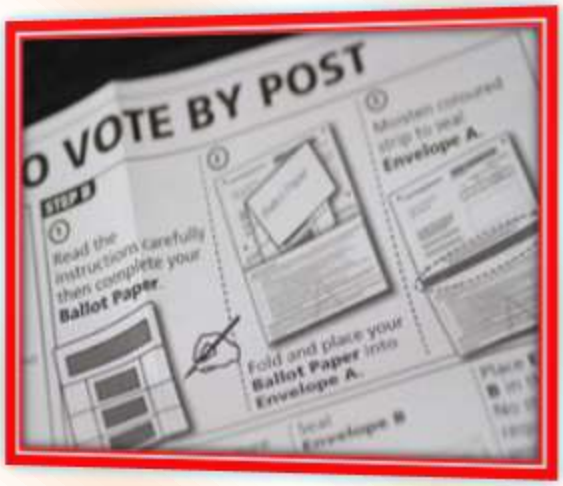

संशोधित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति को नए फॉर्म 12D में आवेदन करना होगा। यह आवेदन-पत्र चुनाव अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर चुनाव अधिकारी तक पहुंच जाने चाहिए। आवेदन मिलने के बाद मतदाता को डाक मतपत्र जारी किया जाएगा। वोट दर्ज कराए जाने के बाद डाक मतपत्र निर्दिष्ट केंद्र में जमा कराए जाएंगे।

राष्ट्रपति ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्र में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 अक्टूबर को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए 19 कंपनियों को पहला राष्ट्रीय CSR पुरस्कार (first National Corporate Social Responsibility Awards) प्रदान किया।

इस पुरस्कार की तीन श्रेणियां- CSR में उत्कृष्टता के लिए कॉरपोरेट पुरस्कार, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में CSR के क्षेत्र में कॉरपोरेट पुरस्कार और राष्ट्रीय प्राथमिकता योजनाओं में योगदान के आधार पर पुरस्कार थीं। पुरस्कार के लिए 528 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। इनमें से तीन वर्गों में पुरस्कार के लिए 19 कंपनियों का चयन किया गया था।

चेनानी नशरी सुरंग का नाम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 24 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में जम्मू और कश्मीर में एनएच-44 पर स्थित चेनानी नशरी सुरंग का नाम बदलकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग करने की घोषणा की।

9 किलोमीटर की यह सुरंग देश की सबसे लंबी आधुनिक सुरंग है, जो उधमपुर को जम्मू में रामबन से जोड़ती है।

2500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस सुरंग के कारण यात्रा का मार्ग 31 किलोमीटर और दोनों जगहों के बीच यात्रा का समय करीब दो घंटे कम कर हो गया है जिससे ईंधन की काफी बचत होगी।